पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर (राज)

(श्री कल्याण राजकीय महाविद्यालय के पीछे, सीकर–332001)
टेलीफोन नं. 01572–272100, 273100, 273200 टेलीफेक्स 01572–273100
वेबसाईट: www.shekhauni.ac.in ई–मेलः reg.shekhauni@gmail.com

क्रमांकः– 960)

दिनांकः– 27.05.2017

विद्या परिषद् की बैठक दिनांक 25.05.2017 का कार्यवाही विवरण

पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर की विद्या परिषद् की बैठक दिनांक 25.05.2017 को कुलपति सचिवालय में प्रातः 11:00 बजे आयोजित की गई, जिसमें उपस्थिति इस प्रकार रहीः–

1.	डॉ. बी.एल. शर्मा	अध्यक्ष (माननीय कुलपति)
2.	डॉ. राजेन्द्र शर्मा	मा. सदस्य
3.	डॉ. शशिकांत शर्मा	मा. सदस्य
4.	डॉ. अमिता अग्रवाल	मा. सदस्य
5.	डॉ. डी.एस. थालौड़	मा. सदस्य
6.	डॉ. के.सी. अग्रवाल	मा. सदस्य
7.	डॉ. भवानी शंकर शर्मा	मा. सदस्य
8.	डॉ. भूपेन्द्र कुमार	मा. सदस्य
9.	डॉ. रामस्वरूप जाखड़	मा. सदस्य
10.	डॉ. राकेश कुमार	मा. सदस्य
11.	श्री रामनिवास जाट	सदस्य सचिव (कुलसचिव)

सर्वप्रथम मा. कुलपति महोदय द्वारा सभी सदस्यों का स्वागत किया गया। तत्पश्चात कुलसचिव द्वारा बिन्दुवार मिटिंग के एजेण्डा प्रस्तुत किये गये जिस पर सर्वसम्मति से विचार कर निम्नानुसार निर्णय लिये गये –

एजेण्डा बिन्दु संख्या 01: दिनांक 15.11.2016 को आयोजित बैठक की कार्यवाही का अनुमोदन

निर्णयः सर्वानुमति से दिनांक 15.11.2016 को आयोजित बैठक की कार्यवाही का अनुमोदन किया जाता है।

एजेण्डा बिन्दु संख्या 02: विश्वविद्यालय में स्नात्तकोतर पाठ्यक्रम को सेमेस्टर पद्धति एवं Choice Based Credit System पर आधारित व्यवस्था लागू करने के लिए प्रस्तावित अध्यादेश पर चर्चा एवं अनुमोदन।

निर्णयः विश्वविद्यालय में स्नात्तकोतर पाठ्यक्रम को सेमेस्टर पद्धति एवं Choice Based Credit System पर आधारित व्यवस्था लागू करने के लिए प्रस्तावित अध्यादेश को सर्वसम्मति से स्वीकार किया जाता है।

संलग्नः प्रस्तावित Ordinance No. 329-R. Pandit Deendayal Upadhyaya Shekhawati University Master Degree (Semester Study) Ordinance, 2017.

एजेण्डा बिन्दु संख्या 03: विश्वविद्यालय में M.Phil, Ph.D. Ordinance के प्रारूप पर चर्चा/निर्णय। विश्वविद्यालय में स्नात्तकोतर पाठ्यक्रम को सेमेस्टर पद्धति एवं Choice Based Credit System पर आधारित व्यवस्था लागू करने के लिए प्रस्तावित अध्यादेश पर चर्चा एवं अनुमोदन।

निर्णयः सर्वानुमति से प्रस्तावित Ordinance No. 139 (A). Pandit Deendayal Upadhyaya Shekhawati University M.Phil/Ph.D. Ordinance, 2017 के प्रारूप को अनुमोदित कर स्वीकार किया जाता है तथा राजस्थान विश्वविद्यालय के ऑर्डिनेन्स 123 से 139 तक को पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय के अध्यादेशों के प्रयोजन से निरसित किये जाने का प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है।

संलग्नः Ordinance No. 139-A. Pandit Deendayal Upadhyaya Shekhawati University M.Phil/Ph.D. Ordinance, 2017 का अनुमोदित प्रारूप।

एजेण्डा बिन्दु संख्या 04: विश्वविद्यालय में पाँच नये शिक्षण विभाग संचालित किये जाने पर चर्चा/निर्णय।

सर्वानुमति से निर्णय लिया जाता है कि:

1. विश्वविद्यालय में संचालित छः संकायों में से पांच संकायों में कम से कम एक–एक स्नातकोत्तर शिक्षण विभाग खोले जायें।
2. विश्वविद्यालय में प्रथम चरण में निम्न विवरणानुसार पांच स्नातकोत्तर शिक्षा के लिए शिक्षण विभागों की निम्न विवरण के अनुसार संरचना कर स्थापना की जाये:

अ.

क्र. सं.	संकाय का नाम	प्रस्तावित विभाग का नाम
1.	कला संकाय	Department of Indian Languages
2.	समाज विज्ञान संकाय	Department of Developmental Studies
3.	वाणिज्य संकाय	Department of Commerce
4.	विज्ञान संकाय	Department of Life Sciences
5.	विधि संकाय	Department of Legal Studies

ब. प्रस्तावित प्रत्येक विभाग में निम्न विवरणानुसार शैक्षणिक एवं मंत्रालयिक पदों का सृजन किया जाये:

क्र. सं.	विभाग का नाम	प्रस्तावित शैक्षणिक पदों का सृजन (पदनाम एवं वेतन श्रृंखला)			प्रस्तावित अशैक्षणिक पदों का सृजन (पदनाम एवं वेतन श्रृंखला)		
		प्रोफेसर (37400-67000+ 10000 AGP)	सह प्रोफेसर (37400-67000+ 9000 AGP)	सहायक प्रोफेसर (15600-39100+ 6000 AGP)	प्रयोगशाला सहायक (5200-20200+ 2800 AGP)	लिपिक ग्रेड–II (5200-20200+ 2400 AGP)	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (5200-20200+ 1700 AGP)
1.	Department of Indian Languages	01	02	04		01	01
2.	Department of Developmental Studies	01	02	04		01	01
3.	Department of Commerce	01	02	04		01	01

4.	Department of Life Sciences	01	02	04	04	01	01
5.	Department of Legal Studies	01	02	04		01	01
	Total	05	10	20	04	05	05

स. प्रस्तावित पदों के लिए अनुमानित खर्च:

क्र. सं.	पद	वेतन श्रृंखला	अनुमानित मासिक खर्च	कुल पद	अनुमानित वार्षिक खर्च
1.	प्रोफेसर	37400-67000+10000 AGP	116604	05	6996240
2.	सह प्रोफेसर	37400-67000+ 9000 AGP	114144	10	13697280
3.	सहायक प्रोफेसर	15600-39100+ 6000 AGP	51840	20	12752640
4.	प्रयोगशाला सहायक	5200-20200+ 2800 AGP	27478	04	1318944
5.	लिपिक ग्रेड– द्वितीय	5200-20200+ 2400 AGP	24206	05	1452360
6.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	5200-20200+ 1700 AGP	16974	05	1018440
	कुल				37235904
	नोटः उक्त अनुमानित मासिक खर्च में दिनांक 26.05.2017 तक मूल वेतन के अतिरिक्त देय सभी भत्ते, मकान किराया भत्ता इत्यादि शामिल हैं।				372.36 लाख

सर्वानुमति से एजेण्डा 04 के पद 'अ' से 'स' में उल्लेखित प्रस्तावों को अनुमोदित कर स्वीकार किया जाता है।

एजेण्डा बिन्दु संख्या 05: विश्वविद्यालय में विभिन्न शैक्षणिक पद पर UGC द्वारा निर्देशित नई योग्यताओं को स्वीकार करने के सन्दर्भ में चर्चा एवं अनुमोदन।

निर्णयः सर्वानुमति से निर्णय कर विश्वविद्यालय एवं सम्बद्ध सभी महाविद्यालयों के प्रोफेसर, सह प्रोफेसर एवं सहायक प्रोफेसर के प्रस्तावित Ordinance 141-J. "Pandit Deendayal Upadhyaya Shekhawati University Qualification of Teachers Ordinance, 2017" को स्वीकार किया जाता है।

सर्वानुमति से संलग्नक अनुसार Consistent Good Academic Carear को भी वर्तमान प्रस्तावित अध्यादेश के प्रयोजन से परिभाषित किया जाता है।

नोटः वर्तमान में विश्वविद्यालय अधिनियम के अनुसार विश्वविद्यालय के अस्तित्व में आने की तिथि को राजस्थान विश्वविद्यालय प्रभावी योग्यता नियम पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय में ट्रांजिटरी व्यवस्था के अन्तर्गत स्वतः लागू होते हैं, उसमें उन्हें प्रभावी माना जाये तथा इसके अतिरिक्त जो यू.जी.सी. से नयी मार्गदर्शिका प्राप्त हुई हैं, तदनानुसार इन नियमों में उक्त दस्तावेज द्वारा संलग्न अतिरिक्त प्रावधानों को स्वीकार किया जाता है।

संलग्नः 1. Ordinance 141-J. "Pandit Deendayal Upadhyaya Shekhawati University Qualification of Teachers Ordinance, 2017" का अनुमोदित एवं स्वीकृत दस्तावेज।

2. Consistent Good Academic Carear की परिभाषा।

एजेण्डा बिन्दु संख्या 06: विश्वविद्यालय के अधिकार क्षेत्र में संचालित/नवीन बी.ए. बी.एड./ बी. एससी. बी.एड. चार वर्षीय इंटिग्रेटेड कोर्स संचालन हेतु पाठ्यक्रम, Ordinance निर्धारण पर चर्चा/ निर्णय।

सर्वानुमति से निर्णय लिया जाता है कि विश्वविद्यालय के अधिकार क्षेत्र में संचालित/नवीन बी.ए. बी.एड./ बी.एससी. बी.एड. चार वर्षीय इंटिग्रेटेड कोर्स संचालन हेतु पाठ्यक्रम, Ordinance एवं डिग्री के विश्वविद्यालय की विधि में सम्मिलित होने की शर्त के पश्चात की तिथि से लागू किया जाये। सर्वानुमति से यह भी निर्णय लिया जाता है कि वर्तमान में राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा

स्वीकृत पाठ्यक्रम अध्यादेश University of Rajasthan Syllabus Integrated Programme in B.Sc.-B.Ed./B.A.-B.Ed. Annual Scheme Examination Part-I (2017) को स्वीकार किया जाता है।

एजेण्डा बिन्दु संख्या 07: विश्वविद्यालय के अधिकार क्षेत्र जिला सीकर एवं झुन्झुनू में संचालित बी. एड./ एम.एड. महाविद्यालयों द्वारा सत्र 2017–18 की सम्बद्धता हेतु निरीक्षण नहीं करवाये जाने पर चर्चा/निर्णय।

सर्वानुमति से निर्णय किया जाता है कि जब तक विश्वविद्यालय के अधिकार क्षेत्र में आने वाले बी.एड. एवं एम.एड. महाविद्यालयों द्वारा विश्वविद्यालय निरीक्षण करवाकर आवश्यक प्रक्रिया पूरी नहीं कर ली जाती है, तब तक ऐसे महाविद्यालयों को शैक्षणिक सत्र 2017–18 की सम्बद्धता नहीं दी जाये तथा निरीक्षण नहीं करवाने वाले महाविद्यालयों के नाम शैक्षणिक सत्र 2017–18 में विद्यार्थियों को प्रवेश देने वाली केन्द्रीय प्रवेश समिति को नहीं भेजे जायें।

नोटः विद्या–परिषद् के सभी सदस्यों ने इसे अत्यधिक दुर्भाग्यपूर्ण माना कि महाविद्यालयों ने अवैध उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एक संगठन बनाकर विश्वविद्यालय द्वारा विधिक आवश्यकता एवं प्रबंध मण्डल सहित विश्वविद्यालय के प्राधिकार मण्डलों के निर्देशों को न मानते हुए महाविद्यालय का निरीक्षण नहीं करवाने का निर्णय लिया है, बारम्बार समय देने के बावजूद निरीक्षण नहीं करवाते हैं, यदि कोई महाविद्यालय निरीक्षण करवाने की इच्छा प्रकट करता है तो उसे डरा–धमकाकर निरीक्षण करवाने से रोकते हैं, निरीक्षण टीम को आने नहीं देते हैं तथा निरीक्षण करने से रोकने के लिए कई प्रकार की बाधाएं उत्पन्न करते हैं, असंसदीय भाषा का उपयोग करते हैं, विश्वविद्यालय प्रशासन को प्राधिकार मण्डल के सदस्यों पर दबाव लाकर निरीक्षण को रूकवाते हैं। अंतिम समय तक निरीक्षण रोकते हैं तथा अंतिम समय में विद्यार्थियों के हितों की दुहाई देकर बिना निरीक्षण के महाविद्यालय की सम्बद्धता प्राप्त कर लेते हैं।

कुलसचिव द्वारा मा. सदस्यों का आभार एवं धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक संपन्न हुई।

कुलसचिव 01/3/